

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 3707/2016

Ummed S/o Shri Mithya Lal, By caste Meena, R/o Narayanpur,
P.S. Sadar Gangapur city, District Sawaimadhopur (Raj.).

...Petitioner-Accused

Versus

State of Rajasthan through Public Prosecutor.

....Respondent

आदेश दिनांक:

27.10.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री अंकित खण्डेलवाल, अधिवक्ता वास्ते,
श्री रविन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता-याची की ओर से।
श्रीमती मीनाक्षी पारीक, लोक अभियोजक।

अधिवक्ता श्री अंकित खण्डेलवाल ने अधिवक्ता याची श्री रविन्द्र पालीवाल की ओर से उपस्थित होकर निवेदन किया है कि याची के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण धारा 498 ए भा.दं.सं. में विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 2011 से लंबित है। अतः विचारण न्यायालय को प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किये जाने का आदेश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया जावे।

सुना गया।

विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके यहां लंबित प्रकरणों में वरिष्ठता के आधार पर याची का उक्त प्रकरण शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित कर दिया जावे।

तदनुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति